हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा के मुख्यमंत्री** नायब सिंह सैनी को **विधानसभा अध्यक्ष** ज्ञान चंद गुप्ता ने **विधायक पद की शपथ दिलाई।**

मुख्य बिंदु:

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह लेने के बाद करनाल विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव लड़ा था।

- राज्य की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिये आम चुनाव के छठे चरण में **25 मई 2024 को मतदान हुआ तथा परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किये गए थे।**

उपचुनाव

- **परिचय:**
  - उपचुनाव, जिसे **विशेष** चुनाव **के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिये** आयोजित चुनावों को संदर्भित करता है।
  - यह **व्यापक चुनावी चक्र के भीतर एक महत्त्वपूर्ण घटक** के रूप में कार्य करता है और **अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित** करके नियमित चुनावों को पूर्ण करता है।
- **उद्देश्य**
  - उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य रिक्त सीटों की समय पर **फाइलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या ज़िले का प्रतिनिधित्व हो सके।**
- **परिस्थिति:**
  - उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधायिका में कोई **सीट निलंबन, इस्तीफे, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य के निष्कासन जैसे कारणों से खाली हो जाती है।**
- **निर्धारित समय-सीमा**
  - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A निर्वाचनआयोग को **संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है,** बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
    - इसलिये यदि **लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की** तारीख से एक वर्ष से कम है **तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-cmk-administered-oath